**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1445**

**24दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**अगस्टा वेस्टलेंड/फिनमेकेनिका को काली सूची से हटाया जाना**

**1445.डा. संजय सिंह:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि वर्ष 2014 में 'यूपीए' सरकार ने अगस्टा वेस्टलेंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की थी और दोनों कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि 'यूपीए' सरकार ने अगस्टा वेस्टलेंड के विरूद्ध मिलान, इटली में 23 मई, 2014 को एक मामला दर्ज किया था, और 'यूपीए' सरकार ने अगस्टा वेस्टलेंड के अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के नकदीकरण का मामला जीतकर 2,28,00,00,00 यूरो वसूल किये थे; और

(ग) यदि हां, तो काली सूची में डाली गई अगस्टा वेस्टलेंड/फिनमेकेनिका को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी लेने की अनुमति देने और विभिन्न भारतीय कारपोरेट कंपनियों के साझीदार या उप-ठेकेदार के रूप में इसकी प्रविष्ट की अनुमति देने के क्या कारण थे?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): इन फर्मों के पास प्रक्रियाधीन अधिप्राप्ति/अधिग्रहण संबंधी मामलों पर जुलाई, 2014 में जारी किए गए आदेश के अंतर्गत रोक लगा दी गई थी।

(ख): इटली में विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए अगस्टा वेस्टलैंड के पूर्व निदेशकों के खिलाफ मिलान, इटली में न्यायालयी मामला दायर किया गया था और रक्षा मंत्रालय इस मामले में असंतुष्ट सिविल पक्ष के रूप में शामिल हुआ था। न्यायालय ने दोषी को कर अपवंचन और इनवॉइस की जालसाजी का दोषी करार देते हुए 9 अक्तूबर, 2014 को अपना निर्णय दिया था।

- 2 –

डच बैंक को भारत सरकार के पक्ष में बैंक गारंटी के नकदीकरण से प्रतिबंधित करने संबंधी मामला फर्म द्वारा मिलान के सिविल न्यायालय में दायर किया गया था। इस मामले के अंतिम परिणाम में मिलान के सिविल न्यायालय में विभिन्न बैंक गारंटियों के नकदीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय की अपील पर न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश को कायम रखा गया था।अनुमानतः 255.24 मिलियन यूरो बैंक गारंटी के रूप में वसूली गई है।

(ग): मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड (भारतीय भागीदार : मै. टाटा संस लि., विदेशी भागीदार : अगस्टा वेस्टलैण्ड एन.वी., नीदरलैण्ड) को 26 प्रतिशत एफडीआई के साथ भारत में अगस्टा वेस्टलैंड एडब्ल्यु 119केई हेलीकॉप्टर्स के सैन्य और सिविल दोनों रूपांतरणों को अंतिम रूप से असेम्बल करने के कार्य में लगाने के लिए सितम्बर, 2011 में विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके अलावा एडब्ल्यु 119केई के स्थान पर हेलीकॉप्टर मॉडल एडब्ल्यु 119 केएक्स को शामिल करने और वैश्विक ग्राहकों को निर्यात अथवा भारतीय सिविल बाजार में प्रस्तुत करने के लिए अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स को असेम्बल करने हेतु विदेशी निवेशक को मै. अगस्टा वेस्टलैंड एन.वी. से बदलकर मै. अगस्टा वेस्टलैंड एस.पी.ए., इटली करने के लिए डीईए द्वारा दिनांक 13.10.2015 को कंपनी के प्रस्ताव में संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

\*\*\*\*